

16-5-2016

राजस्व लोक अदालत नामापर डार
के तहत उभयपक्षों को सुनवाई हेतु
लेखित जारी होने के बाद पत्रावली
आज राजस्व लोक अदालत अदालत
सेवा के रूप में सुनवाई पर पेश
हुआ। वादी/ग/ गवाही व तथ्य
तथ्य/लक्ष्य के साथ उपस्थित/ गवाही
का मूल वाद लिखित हो जाने के
इस प्राप्ति के चलते का कोई
सौजन्य नहीं है अतः जाफा खारिज
रिक्त जमाना है पत्रावली अदालत सुनवाई
होकर तब ही सुनवाई व प्रत्यक्ष
शामिल मूल वाद है